पंचायती राज अपडेट

हमारी पंचायतें, हमारा भविष्य

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज

कुल पृष्ठ : 6
वार्षिक शुल्क : 100 रु.
एक प्रति : 10 रु.

वर्ष 12 अंक 3 मार्च 2019

पंचायतों के माध्यम से चरितार्थ होगा सबका साथ सबका विकास

डा. राजेश कुंडू*

वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक स्तर पर राजनीति का आधार है विकास। यदि हम राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी एवं संबंधित दलों की सरकार का नारा भी 'सबका साथ सबका विकास' रहा है। वास्तव में इस नारे में दो बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सार्थक अवधारणाएं शामिल हैं। पहली अवधारणा है सबका साथ, यदि हम इस अवधारणा के मूल में जाकर सोचते हैं तो अर्थ निकलकर आता है कि शासन व प्रशासन में जन सहभागिता। स्वतंत्रता उपरांत बलवंत राय मेहता समिति ने महसूस किया कि राष्ट्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए सामुदायिक विकास (1952) एवं राष्ट्रीय वितरण सेवा (1953) कार्यक्रम जनता में उत्साह उत्पन्न करने में विफल रहे हैं। उस समय खंड स्तर को विकास का केंद्र बिंदु बनाया गया था। इसके लिए नोडल अधिकारी के रूप में खंड विकास अधिकारी के पद का सर्जन किया गया। परंतु उपरोक्त दोनों कार्यक्रमों की असफलता के कारणों में सामुदायिक भागीदारी का न होना महत्वपूर्ण कारण माना गया। अत: विकास कार्यों में नागरिकों की सहभागिता मेहता समिति का मूल उद्देश्य था जो आज तक भी साकार नहीं हो पाया है। दूसरी अवधारणा सबका विकास है, इस अवधारणा में ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि आज भी भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण भारत में वास करता है। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना में गांव को गणराज्य के समान अधिकार होने तथा इन अधिकारों को गांव से जनपद एवं जनपद से जिला, प्रदेश व केंद्र तक पहुंचने का स्वप्न देखा गया था। इसी प्रकार रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा 1914 में स्थापित विश्व भारती ने 1921 में अपने ग्रामीण पुनर्निर्माण विभाग द्वारा श्रीनिकेतन सूरज ग्राम परियोजना की शुरूआत इस उद्देश्य से की कि गांव का विकास ग्रामीणों की अपनी समझ से हो। इसी कड़ी में स्पेंसर हैच ने 1921 में तत्काली त्रावणकोर कोचीन राज्य के गांव मार्तडम ग्राम विकास योजना, वी.टी. कृष्णामचारी द्वारा 1931-32 में बड़ौदा कस्बा ग्राम विकास परियोजना आदि में ग्रामीण उत्थान पर जोर दिया है (महीपाल, ग्राम नियोजन, नई दिल्ली : राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत, 2012, पृष्ठ 1-2)। इसी संदर्भ में चौधरी छोटू राम की आत्मा में ग्रामीण विकास का सपना बसा हुआ था। वर्ष 1901 में सैंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली में 'स्टीफिन' नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था तो उस समय चौधरी छोटूराम ने इस पत्रिका के प्रथम अंक में अपना पहला लेख ग्रामीण विकास पर ही लिखा। इस लेख में उन्होंने ग्रामीणों के जनजीवन व समस्याओं का न केवल वर्णन किया बल्कि उनके समाधान का रास्ता भी बताया। उन्होंने ग्रामीण शिक्षा को विकास का माध्यम बताया। चौधरी साहब सन् 1939 से 1941 तक पंजाब सरकार में विकास मंत्री रहे, उस समय अपनी ग्रामीण विकास की अवधारणा को संपूर्ण रूप से लागू किया। इन सभी विचारधाराओं से प्रतीत होता है कि उस समय स्थानीय स्तर पर कोई ऐसी कड़ी नहीं थी जो ग्रामीण विकास के पहलू को भलीभांति कार्यरूप दे सके। परंतु आज वह स्थिति नहीं है क्योंकि भारतीय शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के विकास को कार्यान्वित करने के लिए 73वें संविधान संशोधन ने चिरपरिचित स्वप्न को साकार करने का कार्य किया है। संविधान के अनुच्छेद 243छ के अनुसार राज्य विधानमंडल ऐसी शक्तियां और अधिकार पंचायतों को प्रदान कर सकते हैं जिससे वे स्वशासन संस्थान के रून में कार्य कर सकें। इसी के साथ इन संस्थाओं की जिम्मेदारी आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय के लिए योजना निर्माण की भी है। ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाकर उन्हें कार्यान्वित करने का कार्य भी पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा जा सकता है। इस संवैधानिक संकल्पना को कार्यरूप देने के लिए अक्टूबर, 2015 में भारत सरकार ने पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना से संबंधित संशोधित दिशा निर्देशों में राज्य सरकारों को उनके अनुकूल दिशा निर्देश तैयार करने की सलाह दी है। यह सलाह इसलिए है क्योंकि पंचायती राज व्यवस्थाएं राज्य सूची का विषय है।

उपरोक्त संदर्भ में स्पष्ट है कि वर्तमान में ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी केंद्र तथा राज्य सरकारों से चलकर पंचायत अर्थात स्थानीय सरकार तक पहुंच गई है। इसी को हम नीचे से ऊपर (बीट-अप) स्तर का शासन प्रतिमान कहते हैं। अत: ग्राम पंचायत विकास योजना अपने आप में वास्तविक विकेंद्रीकरण का स्वरूप बन सकती है यदि इसकी कार्य व्यवस्था के सैद्धांतिक पहलुओं को व्यवहार में परिवर्तित किया जाता है तो ये योजनाएं वार्षिक, बहुवर्षीय व दीर्घकालिक हो सकती हैं क्योंकि भारतवर्ष विविधताओं का देश है और प्रत्येक राज्य, क्षेत्र व गांव की अपनी-अपनी विभिन्न समस्याएं तथा आवश्यकताएं हैं। इन्हीं समस्याओं व आवश्यकताओं को संज्ञान में लेकर उसी स्तर की ग्राम पंचायत विकास योजनाएं बनाई जा सकती हैं। यदि इस एक योजना (ग्राम पंचायत विकास योजना) को सूझबूझ के साथ समयसामयिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाता है तो केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली अनेक योजनाओं व कार्यक्रमों के निर्माण की जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि केंद्र व राज्य के वित्तीय, मानव, तकनीकी, पदार्थ व विधि से संबंधित सभी संसाधनों को बचाकर राष्ट्रीय सुदृढ़ीकरण में लगाया जा सकता है। आज लगभग केंद्र सरकार के एक सौ से भी अधिक कार्यक्रम ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न मंत्रालयों व विभागों द्वारा चलाए जा रहे हैं। यदि ग्राम स्तर पर नियोजन सुव्यवस्थित होता है ➤ शेष पृष्ठ 4 पर ....

राज्यों से

ओड़िशा

खोरदा में पंचायती राज दिवस मनाया गया : जिला स्तर पर पंचायती राज दिवस का आयोजन ओड़िशा लिवलीहुड मिशन के कार्यालय भवन में 5 मार्च को मनाया गया। इस अवसर पर खोरदा के जिला अधिकारी निर्मल चंद्र मिश्रा, जिला परिषद अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार, डीआरडीए से सरोज कुमार मिश्रा तथा महिला स्वयं सेवी संगठन सदस्य और सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। इस अवसर पर सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित किया। इसमें लगभग एक हजार लोगों ने भाग लिया।

कर्नाटक

बेलमन ग्राम पंचायत ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया : उडुपी जिले के कारकल ब्लॉक के अंतर्गत बेलमन ग्राम पंचायत ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया। एक अनुमान के अनुसार लगभग 10000 घर तोड़े जाएंगे जो 34 ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में पड़ते हैं इसमें नगर निगम का क्षेत्र भी शामिल है। इन लाभार्थियों ने अपने घरों का निर्माण नियम 94सी और 94 सीसी के अंतर्गत किया था। बेलमन ग्राम पंचायत ने पांच परिवारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जिन्होंने जंत्रा में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण किया था जो ग्राम पंचायत की सीमा में है। पंचायत विकास अधिकारी के नेतृत्व में पुलिस को साथ लेकर भूमि से अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। सूचना के अनुसार तहसीलदार के दिशानिर्देश में यह अभियान चलाया गया। सरकारी भूमि पर मकान बनाने से पहले किसी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि कुछ समय बाद यह भूमि का टुकड़ा उनका हो जाएगा। सूत्रों ने बताया कि जंत्रा में रहने वालों ने शिकायत की थी कि कुछ लोगों ने सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण बना लिए हैं। स्थानीय पंचायत ने अवैध निर्माण हटाने के लिए एक प्रस्ताव पास किया जो मंजुला, वनीता और सेवंथी द्वारा किया गया था। इस तालुका में अभी और तोड़फोड़ की कार्रवाई हो सकती है यदि पंचायतें इस संबंध में प्रस्ताव पास करें।

केरल

पंचायत ने कोची नगर निगम को नोटिस जारी किया : अर्नाकुलम जिले के अंतर्गत वडावुकोडू पुथीन कुरीसू ग्राम पंचायत ने ब्रह्मपुरम में कूड़ा डालने के विरोध में 1 मार्च को कोची नगर निगम को नोटिस जारी किया गया तथा तुरंत सारी गतिविधियां रोकने का आदेश पारित किया गया। पंचायत ने कहा कि यह कार्य स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के बिना किया जा रहा था। पंचायत अध्यक्ष पी.के. वेलायुधन ने बताया कि पंचायत ने जिलाधिकारी को इस विषय में सूचित कर दिया है। कूड़ा निस्तारण संयंत्र ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा। इसके बावजूद निगम वहां कूड़ा डाले जा रहा था। पंचायत जिलाधिकारी से चाहती है कि निगम के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की जाए।

गोवा

कर्टोरिम ग्राम सभा में कूड़ा निस्तरण, हाउस टैक्स मुद्दे हावी रहे : दक्षिण गोवा जिले के मारगाव तहसील के अंतर्गत कर्टोरिम में 3 मार्च को ग्राम सभा हुई। इस ग्राम सभा में कूड़ा निस्तारण और हाउस टैक्स संग्रह पर चर्चा हुई। ग्राम सभा के दौरान 15 से कम सदस्य उपस्थित रहे। चारलेस बारेटो, सांतनो रोडरिग्स और मोहन नाइक ने पंचायत सचिव से अनेक प्रश्न पूछे। सरपंच और योगेश फटारपेकर कूड़ा निस्तारण के लिए कैसे टेंडर जारी कर सकते हैं जबकि इस विषय में काम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पंचायत के पास इसका कोई विवरण नहीं है कि वहां कितना कूड़ा पैदा होता है और इसे किस तरह इकट्ठा किया जाएगा। बेराटो ने कहा कि गांव में सूखे और गीले कूड़े का निस्तारण एक बड़ी समस्या बन गया है। सरपंच ने इस तथ्य को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि पहला टेंडर निरस्त कर इसकी जगह दूसरा टेंडर जारी किया जाएगा। सदस्यों ने पंचायत से यथार्थवादी बजट पेश करने को कहा। रोडरिग्स ने पंचायत सचिव से कहा कि वह सदस्यों को बताएं कि राजस्व कैसे बढ़ेगा। उसने बीडीओ ऑफिस को लेकर टिप्पणी कि उन्होंने पंचायत का दौरा क्यों नहीं किया जबकि गोवा पंचायती राज एक्ट में ऐसा करना जरूरी है। इसके बाद पंचायत सचिव ने कहा कि अतिरिक्त बजट को पास कर दिया गया है।

पंचायत ने अवैध निर्माण के खिलाफ रोष जताया : उत्तरी गोवा जिले के अंतर्गत कंसालिम ग्राम पंचायत ने एरोसिम समुद्र तट पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ रोष प्रकट किया। समुद्र किनारे कई कंक्रीट के खंबो का निर्माण कार्य जारी है। विषय की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय विधायक अलीना ने अधिकारियों को निरीक्षण करने और इसके खिलाफ कार्रवाई को लिखा है। विधायक ने कहा कि कंसालिम ग्राम पंचायत से अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत मिली है। वहां समुद्र किनारे सीमेंट के खंबो का निर्माण किया गया है। एरोसिम बीच के इस क्षेत्र में कोई निमार्ण कार्य नहीं किया जा सकता है। सरपंच ने बताया कि बिल्डर ने उस जमीन को अपने नाम पर स्थानांतरित करने को पूछा था जबकि मूल रूप से यह एक मछुआरे के नाम है। मामला पंचायत निदेशक के पास पहुंच गया है वही इस पर निर्णय लेंगे।

ग्राम पंचायतें बजट पास कर सकती हैं : राज्य के पंचायती राज विभाग के निदेशक राजन सतारदेकर का कहना है कि आचार संहिता लागू रहने के दौरान ग्राम सभा में बजट पास किया जा सकता है यदि वे अपने क्षेत्र में कोई विकास कार्य या नीतिगत निर्णय करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे पहले ही इस बारे में सर्कुलर जारी कर चुके हैं यदि वे आचार-संहिता के दौरान विकास कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें जांच समिति से अनुमति लेनी होगी। मानसून से पहले किए जाने वाले कार्यों के लिए आचार-संहिता खत्म होने का इंतजार नहीं किया जा सकता। इसलिए पंचायतें जांच-समिति से टेंडर जारी करने के लिए अनुमति लेंगी। संयोगवश मुख्य सचिव जांच समिति के प्रमुख हैं। यहां यह बताना उचित है कि सालसेट तालुका की 30 ग्राम पंचायतों में से 10 ग्राम पंचायतों ने ही ग्राम सभा से बजट पास कराया है जबकि काना-बेनालियम पंचायत को ग्राम सभा से बजट पास करवाना है इसकी तिथि 31 मार्च की गई है।

जम्मू एवं कश्मीर

पंचायतों के लिए 2000 लेखा-सहायक के पद स्वीकृत किए : राज्य प्रशासनिक परिषद की राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंचायतों के लिए 2000 लेखा-सहायकों के पदों को मंजूरी दी गई। इससे लेखा के कामकाज को मजबूती मिलेगी और खर्च का हिसाब-किताब रखना अनिवार्य है। राज्य में कुल 4483 पंचायतें हैं। इसलिए काम के हिसाब से 2000 पदों को स्वीकृत किया गया है। एक लेखा-सहायक के पास 2-3 पंचायतों का कार्यभार होगा। यह पंचायत की जनसंख्या और भौगोलिक दूरी पर निर्भर करेगा। इन पदों की भर्ती राज्य अधीनस्थ बोर्ड (एसएसबी) द्वारा

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। चयनित उम्मीदवार प्रथम पांच वर्ष तक एक निश्चित राशि प्राप्त करेंगे और उसके बाद पूरा वेतन मिलेगा।

प्रथम ग्राम सभा का आयोजन : डोडा जिले की कुद्धार पंचायत में 1 मार्च को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 'सबकी योजना सबका विकास' अभियान के तहत चुनाव के बाद प्रथम ग्राम सभा का आयोजन किया गया। नवनिर्वाचित सरपंच और पंचायत सदस्यों ने अधिकारियों का विरोध किया जिन्होंने ग्राम सभा का मजाक बना दिया है। वे अधिकारी खुद ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित नहीं हुए और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को बैठक में भेज दिया। ग्राम पंचायत विकास योजना का ग्राम पंचायत द्वारा तैयार करना अनिवार्य है क्योंकि जो संसाधन उपलब्ध हैं उसी से आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय संभव होगा।

राज्य की सभी ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़ेंगी : राज्य के मुख्य सचिव ने 29 मार्च को बताया कि जम्मू एवं कश्मीर की 4483 ग्राम पंचायतें तेज गति वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़ेंगी। इससे तेज इंटरनेट प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में 6553 गांव और 4483 ग्राम पंचायतें हैं। ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के प्रथम चरण में 368 ग्राम पंचायतों को लिया गया जिसमें से 281 ग्राम पंचायतों में यह कार्य पूरा हो चुका है। प्रवक्ता ने बताया कि अगस्त 2018 में 6553 गांवों में हुए सर्वेक्षण के अनुसार अभी 749 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। डोट के अनुसार राज्य के 6210 गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी है और 127 गांवों में इसे पूरा किया जाना है।

पंचायत चुनाव के चार महीने बाद भी सरपंचों को शपथ नहीं : दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के 28 सरपंचों को पंचायत चुनाव संपन्न होने के चार महीने बाद भी शपथ नहीं दिलाया जा सकी है। यह घाटी का सबसे अशांत क्षेत्र है। जिन सरपंचों ने अपनी जान जोखिम में डालकर पंचायत चुनाव में हिस्सा लिया था उनके पास कोरम पूरा करने के लिए पंच नहीं हैं। नियमानुसार, वही सरपंच शपथ ले सकता है जिसके पास कम से कम एक पंच हो। पुलवामा जिले के अरीहाल गांव के सरपंच साजिद रैन ने कहा कि यह हमें चुनाव के समय ही बता दिया जाता कि हम शपथ नहीं ले सकते। जबसे हम निर्वाचित हुए हैं कोई हमसे शपथ लेने को नहीं कह रहा है। जब हम अधिकारियों के पास पहुंचते हैं तो वे कहते हैं कि हम इसके योग्य नहीं हैं। परंतु अब अधिकारी हमारा मजाक बना रहे हैं।

तेलंगाना

नयी ग्राम पंचायतों को विशेष राशि : राज्य के पंचायती राज मंत्री इराबेल्ली दयाकर राव ने कहा कि जो नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है उन्हें विकास के लिए विशेष राशि जारी की जाएगी। मंत्री यहां यादादरी पहाड़ी पर स्थित श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर दर्शन करने आए थे। उन्होंने पूजा के बाद जारी कामकाज का निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत में दयाकर राव ने कहा कि आदिवासी बस्तियों में ग्राम पंचायतों का निर्माण किया गया है ऐसा मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के आश्वासन के बाद किया गया। उन्होंने कहा विशेष राशि नयी गठित पंचायतों को जारी की जाएगी जिससे वहां तेज गति से विकास कार्य हो सके। उनका मत है कि देश तभी असली विकास करेगा जब 'ग्राम स्वराज' प्राप्त होगा।

नागालैंड

कोहिमा पंचायत यातायात संचालन करेगी : पर्वतीय पंचायत कोहिमा ने स्कूल समय के दौरान यातायात संभालने का निर्णय लिया है। पंचायत के चेयरमेन नीबो-ओ-कीरे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि पंचायत सुबह 8 से 9 और दोपहर 2.30 से 3.30 तक ओल्ड मिनिस्टर हिल और मोहान खोला की ओर से आने वाले वाहनों के लिए 'नो एंट्री' का बोर्ड लगाएगी। इस समय के दौरान सभी बसों और निजी वाहनों को दक्षिण पुलिस स्टेशन या पी शीलू ओ रोड से बाहर जाने को कहा है। पंचायत ने जनता, अभिभावकों और लिटिल फ्लावर हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों से पंचायत के समाधान का कड़ाई से अनुपालन करने का अनुरोध किया है साथ ही कहा कि पंचायत और कालोनी के युवा स्थिति पर नजर रखेंगे और आगाह किया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई दखल मंजूर नहीं होगा।

पंजाब

नवनिर्वाचित पंच-सरपंचों के लिए विशेष प्रशिक्षण : राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग नवनिर्वाचित पंच-सरपंचों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यकम का आयोजन करेगा तकि पंचायत में अपना दायित्व अच्छी तरह निभा सकें। लुधियाना के जिला विकास और पंचायत अधिकारी रूप सिंह ने बताया कि प्रत्येक ब्लॉक में दो दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा जिसमें पंच और सरपंच हिस्सा लेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि जो पंच और सरपंचों को प्रशिक्षण देंगे उनके लिए 15-16 फरवरी को राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, मोहाली में कार्यक्रम हो चुका है। लुधियाना जिला परिषद कार्यालय में इस संबंध में मीटिंग हो चुकी है जिसमें प्रशिक्षकों का चयन किया गया।

उधोवाल ग्राम पंचायत के सदस्यों ने अवैध खनन के खिलाफ शिकायत

सरकारी स्कूल में शिक्षक भर्ती करेगी पंचायत

शिक्षा विभाग सहित अन्य सरकारी विभागों में नौकरियों के लिए सरकार द्वारा विज्ञापन दिया जाना तो सबने सुना और देखा होगा, लेकिन हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव ढाणी ईशर की पंचायत ने सरकारी स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन देकर सभी को हैरान कर दिया।

पूरे गांव के लोगों ने निजी स्कूलों का बहिष्कार करते हुए गांव के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाने का फैसला सर्वसम्मति से लिया। ढाणी ईशर की पंचायत ने गांव के सरकारी स्कूल में बनी शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए अखबारों में विज्ञापन दिया है। भर्ती किए गए शिक्षकों के वेतन की भरपाई पंचायत स्वयं करेगी।

राजकीय उच्च विद्यालय ढाणी ईशर के लिए पंचायत द्वारा 6 शिक्षकों के लिए विज्ञापन दिया गया है। विज्ञापन के अनुसार गांव के सरकार स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए पंचायत द्वारा मदर मेडम पद एक, 2 जेबीटी टीचर, 2 विज्ञान और गणित शिक्षत और एक हिंदी शिक्षा के लिए विज्ञापन दिया गया है, जिनके लिए योग्यताएं भी तय शर्तों के अनुसार पंचायत द्वारा रखी गई हैं। जिसके लिए अनुभव और निपुणता को वरीयता देने का जिक्र भी किया गया है और उक्त शिक्षक भर्ती के लिए सीधे तौर पर गांव ढाणी ईशर के सरकारी स्कूल में योग्य उम्मीदवारों को बुलाया गया है।

इस कार्य को अमलीजामा पहनाने के लिए पंचायत द्वारा एजुकेशन सोसायटी का गठन भी किया गया, जो स्कूल की देखरेख करने के समय शिक्षक भर्ती, बिजली व्यवस्था, कंप्यूटर लैब सहित अन्य काम करेगी।

की : जालंधर जिले के नकोदर ब्लॉक अंतर्गत उधोवाल ग्राम पंचायत के सदस्यों ने आरोप लगाया कि पंचायत भूमि पर अवैध खनन का धंधा रेत माफिया के प्रशय में चल रहा है। पंचायत भूमि के साथ कुछ क्षेत्र का स्तर नीचे गिर गया है इस कारण बरसात में उपजाऊ मिट्टी के बहने का खतरा है। पंचायत सदस्य बलविंदर सिंह ने बताया कि रात के समय में जोर से उत्खनन हो रहा है। खनन के साथ-साथ भूमि पर खेती संभव नहीं है। पंचायत के सभी छह सदस्यों ने अवैध खनन रोकने की कोशिश की परंतु सरपंच ने सहयोग नहीं दिया। पेंडू मजदूर यूनियन के नेता तारसेम पीटर ने कहा कि उन्होंने पंचायत सदस्यों के साथ अतिरिक्त उपायुक्त (विकास) से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि मामले की जांच कराएंगे।

पंचायत ने साइकिल बांटी, चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन : मोगा जिले के खोसा पंडो ग्राम पंचायत ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं को 'माई भागो' योजना के अंतर्गत 23 मार्च को साइकिलें बांटी। इसे लोगों ने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताया। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवदीप सिंह संघा ने कहा कि उसने चुनाव आयोग में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है कि कांग्रेस साइकिलों के वितरण से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। जिलाधिकारी संदीप हंस ने कहा कि उन्होंने इसके मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। मैंने एसडीएम को स्कूल जाकर जांच करने और कल तक मुझे रिपोर्ट करने को कहा है।

मणिपुर

सरकार ने मनरेगा के लिए वर्ष 2018-19 में 104.55 करोड़ रु. जारी किए : राज्य के पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री बिश्वजीत सिंह ने 28 फरवरी को सदन में कहा कि सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के लिए वर्ष 2018-19 में 104.55 करोड़ रु. जारी किए। विधान में प्रश्नकाल के दौरान मंत्री ने कहा कि वर्ष 2016-17 में 410.01 करोड़ रु., 2017-18 में 204.83 करोड़ रु. और 2017-18 में 321.93 करोड़ रु. जारी किए गए थे। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप और चट्टान खिसकनेके कारण कार्य दिवस कम सृजित हुए हैं।

हरियाणा

सरपंच सस्पेंड, बीडीपीओ को नोटिस : सिरसा जिले के उपायुक्त ने गांव राजपुरा के सरपंच को सस्पेंड कर दिया है, जबकि डबवाली के तत्कालीन बीडीपीओ को निजी सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है। बीडीपीओ मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। ग्राम पंचायत राजपुरा के फंड के दुरुपयोग की शिकायत पर जांच करवाई गई थी। इस मामले में उपायुक्त की ओर से राजपुरा के सरपंच इंद्राज और डबवाली के तत्कालीन बीडीपीओ वेदपाल को नोटिस जारी किया गया था। दोनों को 23 जनवरी 2019 को तलब किया गया था लेकिन मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में 20 मार्च का दिन निर्धारित किया गया। सरपंच इंद्राज 20 मार्च को निजी सुनवाई के लिए पेश हुआ। मगर वह सुनवाई के दौरान ऐसा कोई भी साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका, जिससे उस पर लगाए गए आरोप खारिज हो सके। निजी सुनवाई के लिए वर्तमान में खंड बडागुढ़ा के बीडीपीओ पेश नहीं हुए। उपायुक्त ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की विभिन्न धाराओं के प्रावधान के तहत सरपंच को सस्पेंड करने के आदेश दिए।

लोकायुक्त के निर्देश पर पूर्व सरपंच पर मामला दर्ज : सोनीपत जिले के गांव कामी के पूर्व सरपंच पर एक ग्रामीण ने गबन व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। गांव कामी निवासी सेवानिवृत फौजी धर्मबीर ने लोकायुक्त व अन्य अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज थी कि उनके गांव के पूर्व सरपंच ने गबन के साथ ही सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। आधिकारिक जांच के बाद अब सदर थाना पुलिस ने भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ग्रामीण ने गबन के साथ ही सरकारी धनराशि का दुरूपयोग करने का आरोप लगाया है। एक आरोप यह भी लगाया है कि पूर्व सरपंच ने सरकारी धनराशि को गांव की गलियों का सुधार कराने के बजाय एक मुर्गी फार्म की तरफ जाने वाली गली का निर्माण कराया। जबकि गांव की गलियों की हालत दयनीय बनी रही। मंदिर निर्माण के पैसे को खुर्द-बुर्द कर दिया और गांव के स्कूल में भी हजारों रुपए की राशि लगा दी। जबकि सरपंच स्कूल में पंचायती राशि नहीं लगा सकता। बिना सामान खरीदे कुर्सी मेज का बिल बनाया गया। ⊡

➢ पृष्ठ 1 का शेष ....

तो उन सभी कार्यक्रमों व स्कीमों को एक छत के नीचे लाकर क्रियान्वित किया जा सकता है। इस प्रकार बचे हुए संसाधनों का सदुपयोग करके नवीन लोक प्रबंध के उपागम को भारत में बल दिया जा सकता है। इस उदारीकरण, वैश्वीकरण व निजीकरण के युग में केंद्र व राज्य सरकारों को स्वयं कार्य करने की बजाय मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने वाली संस्था के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। इन सब कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए राजनीतिक व प्रशासनिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। इस कार्य को करने के लिए राज्य सरकारों ने पंचायती राज संस्थाओं को संपूर्ण स्वायत्ता देनी होगी क्योंकि जब तक इन संस्थाओं के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन, कर्मचारी व कार्यशक्तियां नहीं होगी तब तक सभी संकल्पनाएं केवल स्वप्न ही होंगी। सभी राज्यों में निम्नतम इस प्रकार की समितियों का तो गठन करना अनिवार्य करना होगा जो ग्रामीण विकास व सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है। जैसे ग्राम विकास समिति, ग्राम सार्वजनिक संपदा समिति, ग्राम कृषि विकास समिति, ग्राम स्वास्थ्य समिति, ग्राम सुरक्षा समिति, ग्राम अधोसंरचना समिति, ग्राम शिक्षा समिति, ग्राम सामाजिक न्याय व पिछड़ा वर्ग उत्थान समिति, ग्राम जल वितरण समिति, ग्राम पर्यटन समिति आदि। ये सभी समितियां ग्राम पंचायत के प्रति उत्तरदायी व जवाबदेह होनी चाहिए न कि अधिकारियों के प्रति। ग्राम सचिवालय इस प्रकार की समितियों के कार्य संचालन व व्यवस्थापन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इन सब कार्यों की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सबका साथ अर्थात जन सहभागिता। जन सहभागिता ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शासन, प्रशासन व सामान्य नागरिक एक साथ मिलकर निर्णय निर्माण, क्रियान्वयन व मूल्यांकन के माध्यम से ग्राम विकास नियोजन व नीति निर्माण, क्रियान्वयन व मूल्यांकन के द्वारा प्रत्येक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित रूप से साझीदार होंगे जो ग्रामीण विकास व सामाजिक न्याय के लिए निर्धारित किए हैं। इसी प्रकार पारदर्शिता भी इसके लिए अहम पहलू है। इस पहलू के लिए सभी ग्राम विकास योजनाओं व नीतियों को ग्राम सभा के द्वारा निर्माण करना अपने आप में बहुत पारदर्शी संकल्पना है। जब योजनाओं का हर कार्य उन लोगों की आंखों के सामने पेश होगा जिनके लिए उनका निर्माण किया जा रहा है। इससे अच्छा पारदर्शी तरीका हो नही नहीं सकता। इस माध्यम से जवाबदेही अपने आप विकसित हो जाएगी क्योंकि सभी को पता है कि वह कार्य किस समिति व व्यक्ति ने किया है। अतः उपरोक्त विचार मंथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सबका साथ सबका विकास की संकल्पना केवल पंचायतों के माध्यम से सफल हो सकती है।

(*सहायक प्रोफेसर, लोक प्रशासन विभाग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक)

सहकारिता एवं पंचायती राज

डा. विमलेश राठौड*

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार हर ग्राम के लिए तीन संस्थाएं आवश्यक हैं पंचायत, स्कूल एवं सहकारी समिति। पंचायत स्थानीय प्रबंधन एवं ग्रामीण विकास के लिए जरूरी है, स्कूल शिक्षा के लिए और सहकारी समिति ग्रामीण समाज के विभिन्न आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खासतौर पर उनके कर्जे माफ करने के लिए जरूरी है। गौरतलब है कि नेहरू जी सहकारी खेती के पक्षधर थे ये बात और है कि चौधरी चरण सिंह एवं अन्य किसान नेताओं के विरोध और राज्य सरकारों के आवश्यक सहयोग न मिलने के कारण उनका यह स्वप्न पूरा नहीं हो सका।

उपरोक्त प्रसंग में एस.के.डे. के विचार भी उल्लेखनीय हैं उन्होंने अपनी पुस्तक 'थ्री पिल्लार्स ऑफ डेमोक्रेसी' में ये विचार व्यक्त किया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामाजिक प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। पंचायती राज राजनीतिक प्रजातंत्र के लिए और सहाकारिता आर्थिक प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। संभवतः उपरोक्त कारणों से ही 1959 में पंचायती राज की स्थापना के समय से ही सहकारिता को प्रजातंत्रीय विकेंद्रीकरण की योजना के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। जिसे 2 अक्टूबर 1959 में नेहरू जी ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का नाम दिया था।

जब पंचायती राज की स्थापना के लिए पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम 1952 में संशोधन किया गया और पंजाब पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 पारित किया गया तो सहकारी संस्थाओं को पंचायती राज से जोड़ने की व्यवस्था की गई थी। पंजाब इसका उदाहरण है।

गौरतलब है कि पंचायत समिति के 19 प्राथमिक सदस्यों में से 16 सदस्य सरपंचों एवं पंचों द्वारा चुने जाते थे, 2 सहकारी समितियों के द्वारा एवं एक मार्किट कमेटी के द्वारा ताकि पंचायती राज सहकारी समितियों और मार्किट कमेटियों के बीच तालमेत स्थापित हो सके। इसी प्रकार के प्रावधान कुछ अन्य राज्यों में भी किए गए थे। ये प्रावधान स्थानीय प्रबंधन और ग्रामीण विकास में अति आवश्यक सिद्ध हुए।

लेकिन 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा प्रस्तुत 64वें संवैधानिक संशोधन बिल से सहकारी समितियों और मार्किट कमेटियों को पंचायती राज व्यवस्था से अलग कर दिया गया तो यह बताया जाता है कि बहुत से ग्रामीण नेता जो सरपंच और पंच का चुनाव हार जाते थे या चुनाव लड़ने का साहस नहीं करते थे और न ही पंचायत समिति के उन 16 सदस्यों में शामिल हो पाते थे जिन्हें पंचों और सरपंचों के निर्वाचन मंडल से चुना जाता था। दूसरे शब्दों में सहकारी समिति के माध्यम से पंचायत समिति की सदस्यता प्राप्त करना और फिर बाहुबल, धनबल और राजनैतिक संरक्षण के माध्यम से पंचायत समिति की अध्यक्षता हथिया लेना एवं जिला परिषद का सदस्य बनना एक तरह से एक चोर दरवाजा बन गया था। परंतु दूसरी ओर सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व समाप्त करने से पंचायती राज और सहकारी आंदोलन में तालमेल समाप्त हो जाने की आशंका थी। यह बिल लोक सभा में तो पारित हो गया परंतु राज्य सभा में वांछित दो-तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया।

राजीव गांधी के अधूरे कार्य को 1993 में तत्काली प्रधान मंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने 73वां संवैधानिक संशोधन 1993 बनवा कर पूरा किया। 1993 में सभी राज्यों ने नई पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कर दी इसमें ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के सदस्यों के प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया ताकि धनबल एवं बाहुबल राजनैतिक संरक्षण से पंचायती राज संस्थाओं की सदस्यता ग्रामीण समाज के दबंग एवं धनवान व्यक्ति न कर पाए ये एक सराहनीय कदम था। इन तीनों स्तरों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सदस्यता एवं पदों का आरक्षण किया गया जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था की गई। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया। वित्तीय पोषण के लिए राज्य वित्त आयोग एवं पांच वर्ष का निश्चित अवधि का प्रावधान सराहनीय कदम थे। संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का वर्णन किया गया जिन पर राज्य विधान पालिका के द्वारा सौंपे जाने पर पंचायती राज संस्थाएं आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बना सकती हैं।

उपरोक्त व्यवस्था में जहां सत्ता का वास्तविक विकेंद्रीकरण नहीं हो पाया था वहां पंचायती राज संस्थाओं को वांछित कार्य, कार्मिक एवं फंड्स नहीं दिए गए थे। महिलाओं और दलितों का वास्तविक सशक्तीकरण नहीं हुआ था वहीं पंचायती राज से अलग होकर सहकारी आंदोलन भी कमजोर पड़ गया था।

अब प्रश्न ये उठता है कि सहकारिता आंदोलन को पंचायती राज से कैसे जोड़ा जाए इस विषय में ये कदम उठाए जा सकते हैं :

1. सहकारी समाज के प्रतिनिधियों को ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों में या तो कोप्ट किया जा सकता है या उन्हें पदेन सदस्य बनाया जा सकता है।

2. ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों की कमेटियों का सदस्य बनाया जा सकता है। ऐसा करने से पंचायती राज एवं सहकारी आंदोलन दोनों का लाभ होगा।

सहकारी आंदोलन को मजबूत करना आज के प्रसंग में पहले से भी ज्यादा आवश्यक हो गया है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या, परिवारों के टूटने, खेती की जोतों का घटता आकार, बढ़ती हुई बेरोजगारी, खेती आदि घाटे का सौदा बन गई।

सहकारी सेवा समितियों का गठन कर किसानों को सस्ती दर पर ऋण, मशीनें, ट्रैक्टर आदि उपलब्ध कराए जा सकते हैं। डेरी के क्षेत्र में भी यह सहयोग समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति सुधारने में विशेष तौर पर महिला सशक्तीकरण में सहायक हो सकता है। पशुपालन का कार्य ग्रामीण समाज में महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। पंचायती राज संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं का ये तालमेल किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिला सकती हैं।

उपरोक्त चर्चा के आधार पर हम निःसंकोच इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि पंचायती राज के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सहकारिता आंदोलन से जोड़ना बहुत जरूरी है इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा कदम उठाना पंचायतों के लिए अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसा करने से हम अन्य सामाजिक समस्याओं के हल भी निकलेंगे जैसे कि दूसरे ग्रामों से शहरों को होने वाले पलायन को भी रोका जा सकता है। अत: 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद बनने वाली सरकार को इस दिशा में पंडित नेहरू एवं एस.के. डे के विचारों को ध्यान में रखना होगा।

* डॉ. विमलेश राठौड, सहायक निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, हौजखास, नई दिल्ली।

विविध समाचार

मनरेगा कार्यों पर खर्च होंगे 100 करोड़

हिसार जिला परिषद की बैठक में वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान जिले में 6007 विकास कार्य करवाने के लिए 10097.49 लाख रुपए के बजट का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। जिला परिषद चेयरमैन ब्रह्मदेव स्याहड़वा की अध्यक्षता में आयोजित जिला परिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास यादव सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद व कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।

बैठक में लेखा अधिकारी ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2019-20 में कुल 6007 विकास कार्य प्रस्तावित हैं। इनमें कुल 6364.31 लाख रुपए लेबर के तथा 3733.18 लाख रुपए मैटीरियल के लिए प्रस्तावित हैं। इन कार्यों से 2264774 मानव दिवस सृजित होंगे। इसके साथ ही बताया गया कि चालू वित्त वर्ष का पूरक बजट भी इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसके तहत 462 कार्यों के लिए 985.45 लाख रुपए लेबर के रूप में तथा 384.05 लाख रुपए मैटीरियल के रूप में खर्च किए जाएंगे। इस वर्ष में कुल 350561 मानव दिवस सृजित होंगे।

अलपुझा जिले में मनरेगा के अंतर्गत 1.15 करोड़ कार्यदिवस सृजित हुए

केरल के अलपुझा जिले में वर्ष 2018-19 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत 1.15 करोड़ कार्य दिवस सृजित किए गए। यह वर्ष 2018-19 के लक्ष्य 60.88 लाख कार्य दिवस से काफी अधिक है। मनरेगा के संयुक्त समन्वयक एन. विनोदनी ने कहा कि उनका अनुमान चालू वित्त वर्ष के अंत तक 10 लाख अधिक कार्य दिवस होने का था। राज्य में मनरेगा के अंतर्गत कार्यान्वयन में अलपुझा जिला प्रथम स्थान पर है। वित्त वर्ष के आरंभ में जिले का मजदूरी का बजट 47.83 लाख रुपए निश्चित किया गया था इसके बाद भयानक बाढ़ को देखते हुए 60.88 लाख रुपए संशोधित किया गया। मनरेगा के अंतर्गत जिले में प्रत्येक घर का औसत रोजगार 79.23 कार्य दिवस है। जिले में कांजीकुझी ब्लॉक पंचायत ने 15.78 लाख कार्य दिवस सृजित किए। पट्टनाकड़ ब्लॉक पंचायत 14.78 लाख कार्य दिवस सृजित कर दूसरे स्थान पर रही। अंबलप्पुजा और भारीनीकावू ब्लॉक पंचायत ने क्रमशः 11 लाख एवं 10 लाख कार्य दिवस सृजित किए। केंद्र सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत 100 कार्य दिवस को बढ़ाकर 150 कार्य दिवस कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक जिले में 1053 परिवारों ने 150 कार्य दिवस पूरे किए। पट्टनाकड़ ब्लॉक पंचायत 7503 परिवारों को 100 दिन कार्य देकर दूसरे स्थान पर रही।

वर्ष 2018-19 में मनरेगा के अंतर्गत पिछले आठ वर्षों की तुलना में काम की मांग सबसे अधिक रही

एनडीए शासन के आखिरी वर्ष में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में काम की मांग बढ़ी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-19 में काम की मांग पिछले वर्षों की तुलना में 10 प्रतिशत बढ़ी है जबकि वर्ष 2010-11 में सबसे अधिक कार्य दिवस का सृजन किया गया। जो ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त संकट को दर्शाता है। चालू वित्त वर्ष 2018-19 में मार्च महीने तक मनरेगा में 255 करोड़ कार्य दिवस का सृजन किया गया जबकि वर्ष 2017-18 में इस योजना में 233 करोड़ कार्य दिवस सृजित किए गए थे और 2016-17 एवं 2015-16 में 235 करोड़ कार्य दिवस सृजित किए गए थे।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पंचायतों के विलय के खिलाफ अपील को खारिज किया

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने ग्राम पंचायतों के नगर परिषद या नगर निगमों में विलय के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायालय की एक खंडपीठ जिसमें मुख्य न्यायाधीश बी. राधाकृष्णन और जस्टिस ए राजशेखर रेड्डी शामिल थे उन्होंने निर्णय दिया कि याचिकाकर्ता यह सिद्ध नहीं कर पाए कि संशोधन अधिनियम 4, 2018 अमान्य है। सरकार ने वर्ष 2018 में तेलंगाना नगर निगम अधिनियम 1994 और तेलंगाना नगर परिषद अधिनियम 1965 में संशोधन कर कुछ गांवों को समीप के नगर परिषदों और नगर निगम में विलय कर दिया था। इस विलय को चुनौती देने के लिए गांवों के सरपंचों और ग्राम पंचायत सदस्यों ने उच्च न्यायालय की शरण ली। याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि यह संशोधन मूल अधिनियम 1965 और 1994 के विरूद्ध है। इससे 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का उल्लंघन होता है। उन्होंने खंडपीठ के सामने कहा कि ग्राम पंचायतों के विलय के लिए सरपंचों और सदस्यों को कोई नोटिस नहीं दिया गया। खंडपीठ ने माना कि याचिकाकर्ताओं की ओर से ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि इस संशोधन से अनुच्छेद अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। खंडपीठ ने अपने निर्णय में लिखा है कि राज्य सरकार ने अधिनियम संशोधन करने में मनमानी नहीं की है। संविधान राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के किसी क्षेत्र को नगर परिषद या नगर निगम में विलय या हटाने से नहीं रोकता है खंडपीठ याचिकाकर्ताओं के इस तर्क से सहमत नहीं है।

वार्षिक शुल्क : व्यक्तिगत 100 **रुपए, संस्थागत** 200 **रुपए और विदेश के लिए** 25 **अमेरिकी डॉलर। एक प्रति :** 10 **रुपए। बैंक ड्राफ्ट/धनादेश कृपया इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, नई दिल्ली के नाम भेजें।**

संपादक : प्रो. रणबीर सिंह , एसोसिएट एटिडर : संतोष सिंह

पंचायती राज अपडेट
इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज
8, नेलसन मंडेला रोड, नई दिल्ली -110070
फोन : 011-43158800
ईमेल : mypanchayat@gmail.com